रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 581] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 12, 2014/कार्तिक 21, 1936
No. 581] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 12, 2014/KARTIKA 21, 1936

उपराष्ट्रपति सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2014

सा.का.नि. 793(अ).—राष्ट्रपति, भारत के राजपत्र - असाधारण, भाग-II, खण्ड-3 और उप-खण्ड (i) में शुक्रवार, 2 मई, 2014 को प्रकाशित अधिसूचना के संदर्भ में और संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं उन्हें इसके लिए सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपराष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**:— (i) ये नियम उपराष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2014 कहलाएंगे।

   (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. उपराष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2014 में **अनुसूची-V** के अधीन निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:—

(क) स्टाफ-कार-चालक (साधारण ग्रेड) पद के लिए:—

(i) कॉलम 6 के अंतर्गत, टिप्पण में की गई प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा और निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारत के अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर

राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले और चम्बा जिले के पांगी उप-प्रभाग, लक्षद्वीप के अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)।

*यदि "सीधी भर्ती" सीधी खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जानी हो तो आयु सीमा 18-27 वर्ष होगी।

(ii) कॉलम 7 के अंतर्गत, बिन्दु (iv) के नीचे, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

वांछनीय: होम गार्ड/सिविल स्वयंसेवी के रूप में 3 वर्षों की सेवा।

टिप्पण 1: अनुभव से संबंधित योग्यता में सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर छूट दी जा सकती है।

टिप्पण 2: अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में, यदि चयन के किसी भी चरण में सक्षम प्राधिकारी को यह लगता है कि उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(iii) कॉलम 11 के अंतर्गत, टिप्पण 3: और इसमें की गई प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(ख) स्टाफ-कार-चालक ग्रेड-II पद के लिए:—

(i) कॉलम 11 के अंतर्गत, इसमें की गई प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा और निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

पदोन्नति: 5200-20200 रुपये के वेतन बैंड 1 और 1900 रुपये के ग्रेड वेतन में स्टाफ-कार-चालक (साधारण ग्रेड) जिन्होंने इस ग्रेड में 9 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली हो और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यावसायिक परीक्षण पास कर लिया हो।

(ग) स्टाफ-कार-चालक ग्रेड-I पद के लिए:

(i) कॉलम 11 के अंतर्गत, इसमें की गई प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा और निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

पदोन्नति: 5200-20200 रुपये के वेतन बैंड 1 और 2400 रुपये के ग्रेड वेतन में स्टाफ-कार-चालक (ग्रेड-II) जिन्होंने इस ग्रेड में 6 वर्षों की नियमित सेवा अथवा स्टाफ-कार-चालक (ग्रेड-II) और स्टाफ-कार-चालक (साधारण ग्रेड) में 15 वर्षों की संयुक्त सेवा पूरी कर ली हो और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यावसायिक परीक्षण पास कर लिया हो।

(घ) स्टाफ-कार-चालक विशेष ग्रेड पद के लिए:—

(i) कॉलम 3 के अंतर्गत, समूह "सी" के स्थान पर समूह "बी" को प्रतिस्थापित किया जाए।

(ii) कॉलम 11 के अंतर्गत, इसमें की गई प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा और निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

पदोन्नति: 5200-20200 रुपये के वेतन बैंड 1 और 2800 रुपये के ग्रेड वेतन में स्टाफ-कार-चालक (ग्रेड-II) जिन्होंने इस ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली हो।

[फा. सं. वीपीएस-07/06/2014-प्रशा.]

स्वशपवन सिंह, उपराष्ट्रपति के सचिव

VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2014

G.S.R. 793(E).— With reference to notification published in the Gazette of India – Extraordinary, Part-II, Section-3 and sub-section (i) on Friday, May 2, 2014 and in exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and all other powers enabling him in this behalf, the President hereby makes the following rules further to amend the Vice-President's Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2014, namely:—

1. Short title and commencement – (i) These rules may be called the Vice-President's Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Amendment Rules, 2014.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Vice-President's Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2014, the following amendments have been made under **Schedule-V**:-

(A) For post of Staff-Car-Driver (Ordinary Grade):-

(i) Under column 6, the entries made in the Note:, shall be omitted and the following entries shall be inserted namely:-

Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Anadaman & Nicobar Islands of Lakshadweep).

* If the 'direct recruitment' is to be made by direct open competitive Examination, the age limit would be 18-27 years.

(ii) Under column 7, below point (iv), the following entries shall be inserted namely:-

Desirable: 3 years' service as Home Guard/Civil Volunteers.

Note 1: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority.

Note 2: In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(iii) Under column 11, the Note 3: and entries made therein, shall be omitted.

(B) For post of Staff-Car-Driver Grade-II:-

(i) Under column 11, the entries made therein, shall be omitted and the following entries shall be inserted namely:-

Promotion: Staff-Car-Driver (Ordinary Grade) in Pay Band 1 Rs.5200-20200 Grade Pay Rs.1900 with 9 years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government.

(C) For post of Staff-Car-Driver Grade-I:-

(i) Under column 11, the entries made therein, shall be omitted and the following entries shall be inserted namely:-

Promotion: Staff-Car-Driver Grade-II in Pay Band 1 Rs.5200-20200 Grade Pay Rs.2400 with 6 years of regular service in the grade or with a combined service of 15 years in Staff-Car-Driver Grade-II and Staff-Car-Driver (ordinary Grade); and have passed the trade test, specified by the Government.

(D) For post of Staff-Car-Driver Special Grade:-

(i) Under column 3, the word Group 'C' may be substituted with Group 'B'.

(ii) Under column 11, the entries made therein, shall be omitted and the following entries shall be inserted namely:-

Promotion: Staff-Car-Driver Grade-I in Pay Band 1 Rs. 5200-20200 Grade Pay Rs. 2800 with 3 years of regular service in the grade.

[F. No. VPS-07/06/2014-Admn.]

SWASHPAWAN SINGH, Secy. to the Vice-President

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.